संख्या- 291 /2024 / 2258 /चार-2024

प्रेषक,

रघुनाथ प्रसाद वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 07 अगस्त, 2024

विषय:- काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अवसर पर जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1117/सं0नि0-15(24)/2024-25 टी0सी0 दिनांक 05 अगस्त, 2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अवसर पर जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु रू0 262.50 लाख की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अवसर पर जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों हेतु रू0 255.00 लाख (रू0 दो करोड़ पचपन लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए धनराशि अवमुक्त करने की निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) प्रदेश के 15 जनपदों- लखनऊ (काकोरी), शाहजहाँपुर, बलिया, गोरखपुर (चौरी-चौरा), फिरोजाबाद, अयोध्या, मैनपुरी, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर (बिठूर), झांसी, बरेली, सहारनपुर, गोण्डा में रू0 5.00 लाख प्रति जनपद के अनुसार धनराशि प्रदान की जायेगी।

(2) प्रदेश के अन्य 60 जनपदों- आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बाँदा, बाराबंकी, बस्ती, भदोही, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गौतमबुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, कन्नौज, कांशीराम नगर (कासगंज), कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर-खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मथुरा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, मऊ में रू0 3.00 लाख प्रति जनपद के अनुसार धनराशि प्रदान की जायेगी।

(3) शासन के कार्यालय आदेश संख्या-2160/चार-2023, दिनांक 29 जुलाई, 2024 द्वारा जनपदों के नामित नोडल अधिकारियों द्वारा कार्यक्रम की विभिन्न व्यवस्थाओं, यातायात एवं आवास भोजन पर होने वाले व्यय के संबंध में वास्तविक व्यय के आधार पर प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जायेगा।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) संस्कृति निदेशालय द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल अनुमोदित मद/योजनाओं पर किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है यदि बजट के सबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ का होगा।

(8) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण / उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।

(10) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(11) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है और इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/ स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव

संख्या - 291 /2024 / 2258(1) /चार-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग-7, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुनाथ प्रसाद वर्मा)
अनु सचिव